दूरभाष– 2286709
2286710
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

SUDA

2421

पत्रांक : 1361/05/76/एक/2016–17

दिनांक : 11-07-2016

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद–रामपुर।

विषय : वित्तीय वर्ष 2016–17 में सूडा द्वारा आपके जनपद (डूडा) को अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या–37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है:–

धनराशि का प्रेषण (लाख रू0 में)			
पंजाब नेशनल बैंक	0932000105034436	IFSC Code PUNB0093200	164.090

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम किश्त की धनराशि का प्रेषण
1	रामपुर	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0पा0प0 रामपुर	मो0 पुराना आवास कालोनी में आयकर विभाग के सामने शोरूम से कोचिंग सेन्टर तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	14.520
2	रामपुर	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0पा0प0 रामपुर	मो0 पुराना आवास विकास कालोनी में जी0एन0 टंडन के मकान से सोनू अग्रवाल, अनुराग गर्ग, सुधी यादव के मकान तक शौकत अली रोड और पार्क के चारों ओर इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	6.650
3	रामपुर	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0पा0प0 रामपुर	मो0 पुराना आवास विकास कालोनी में डाक्टर के घर से ट्रान्सफार्मर तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	3.170
4	रामपुर	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0पा0प0 रामपुर	मो0 पुराना आवास विकास कालोनी में एल0आई0सी0 चौराहे से विमल कुमार जैन के मकान तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	9.445
5	रामपुर	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0पा0प0 रामपुर	मो0 पुराना आवास विकास कालोनी में सुमन तोमर से राजीव गन्धर, नवजीत सिंह से पार्क तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	5.370
6	रामपुर	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0पा0प0 रामपुर	मुर्तजा स्कूल के सामने जौहर अली रोड से परवेज भाई के मकान तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	24.225
7	रामपुर	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0पा0प0 रामपुर	जौहर अली रोड पर आई0डी0बी0आई0 बैंक के सामने ईशान ग्रुप ऑफ इन्जीनिरिंग के पास वाली गली में इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	4.270

दूरभाष– 2286709
2286710
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

क्र0 सं0	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक / मलिन	निकाय का नाम	बस्ती / वार्ड का नाम	प्रथम किश्त की धनराशि का प्रेषण
8	रामपुर	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0पा0प0 रामपुर	कृष्ण विहार कालोनी में आरोग्य सिद्धी चिकित्सालय से रामवीर गुप्ता के मकान तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	10.985
9	रामपुर	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0पा0प0 रामपुर	सेफी हॉल से राजीव अग्रवाल के घर तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	2.880
10	रामपुर	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0पा0प0 रामपुर	मो0 चिरान में सहारा अस्पताल के सामने मिठाई की दुकान से लोक निर्माण विभाग ऑफिस तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	8.820
11	रामपुर	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0पा0प0 रामपुर	मो0 कल्कत्ता में पुलिया से मुन्ने भाई के मकान तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	8.280
12	रामपुर	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0पा0प0 रामपुर	मो0 कल्कत्ता में रिहान भाई की दुकान से चन्दन खां के मकान तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	7.955
13	रामपुर	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0पा0प0 रामपुर	राजा डिग्री कॉलेज के पास तुती वाली मजार से रोड तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	8.405
14	रामपुर	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0पा0प0 रामपुर	मो0 पुराना आवास विकास कालोनी में डॉक्टर साहब के मकान से पार्क चारो ओर तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	8.465
15	रामपुर	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0पा0प0 रामपुर	चपटा कालोनी विलासपुर गेट पर बरफ मील से मुन्ने भाई के मकान तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	5.670
16	रामपुर	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0पा0प0 रामपुर	मजार हाफिज साहब रोड निकट पानी टंकी शुएव भाई अरशी के मकान से गुड्डू भाई के मकान तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	3.430
17	रामपुर	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0पा0प0 रामपुर	मौ0 पंखेवालान में बब्लू भाई मरहूम के मकान से सज्जाद भाई मरहूम के मकान तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	11.820
18	रामपुर	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0पा0प0 रामपुर	ईदगाह गेट कच्ची मस्जिद पर मरहूम इल्यास / सरफराज भाई के मकान कच्ची मस्जिद होते हुये भया की चक्की तक तथा इदरीस खॉ के मकान तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	13.500
19	रामपुर	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0पा0प0 रामपुर	मौ0 छोपीयान पुरानागंज जिला सहकारी बैंक से राहत जान खॉ के मकान तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	6.230
	योग				164.090

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड़ अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:–

दूरभाष— 2286709
2286710
नव चेतना केन्द, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ—226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

1— उ0प्र0 सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत डी0पी0आर0/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।

2— स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।

3— प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।

4— अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नही की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरूपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

5— स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।

6— प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।

7— परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख—रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तद्वाशय की सहमति ले ली जाये।

8— योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2016—17 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नही प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।

9— उक्त धनराशि सूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तो/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।

10— प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्त्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

11— अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यो में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिरित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।

12— **शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसे यथावत अवमुक्त किया जा रहा है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।**

भवदीय,

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक

<u>पत्रांक एवं दिनांक तदैव</u>
प्रतिलिपि :निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. परियोजना अधिकारी, सूडा।।
3. अधि0 अभियन्ता—सूडा
4. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग—सूडा।

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक